// प्रेस नोट //

मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज 28.05.24 को विभागों की समीक्षा के दौरान, नदियों में निर्धारित मानदंड से हटकर उत्खनन करने वालों पर सख़्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

इस संबंध में प्रमुख सचिव खनिज द्वारा सभी कलेक्टरों और खनिज अधिकारियों को अवैध उत्खनन करने वालों के विरुद्ध 15 जून तक अभियान चला कर सख़्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

निर्देश में मुख्यतः निम्न बिंदु हैं:

1. इन-स्ट्रीम माइनिंग पर प्रभावी रोक लगायी जाये।
2. जितनी मात्रा की ETP जारी की गई है, उससे अधिक परिवहन ना हो।
3. स्वीकृत क्षेत्र से बाहर उत्खनन ना हो।

प्रदेश में विगत दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर रेत सहित अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण तथा ओवरलोडिंग पर लगातार कार्यवाही की जा रही है । उपरोक्त कार्यवाही जिला- देवास, सीहोर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, खरगौन, हरदा एवं शहडोल सहित प्रदेश में की गई। जिनमें कुल अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण तथा ओवरलोडिंग के कुल लगभग- 200 प्रकरण दर्ज किये जाकर डंपर, पोकलिन मशीन, पनडुब्बी इत्यादि ज़ब्त की गयी है और 1.25 करोड रूपये का राजस्व अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।

Mahindra
TATA
TATA

TATA

TATA HITACHI